

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-06/2015 242

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, (यांत्रिक) राँची/राँची/देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 23-02-16

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-2016 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796740545	1.67

आवंटित राशि - ₹ एक लाख सड़सठ हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2015-2016 के संशोधित बजट उपबंध राशि रु. 3350.00 लाख (तेतीस करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 10 मार्च 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे। राशि का प्रत्यार्पण, उप शीर्षवार किया जाय तथा जिस Access No से आवंटन प्राप्त हुआ था उसको भी अंकित करना आवश्यक है।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 242

राँची, दिनांक :- 23-02-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/देवघर/चैनपुर/गुमला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 242

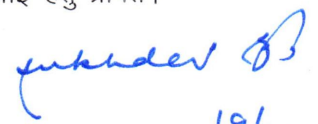
राँची, दिनांक :- 23-02-16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति सौधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक..... 242

दिनांक 22-12-16 का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,

शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य 49P470180796740545

वित्तीय वर्ष 2015-16 में संशोधित बजट उपबंध 3350.00 लाख (लेतीस करोड़ पचास लाख) मात्र।

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्र० स्वी० की राशि	मार्च 2015 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	राशि	प्रसंग	8	9	10	11	12
1	सिंचाई, यांत्रिक प्रमंडल, (DGRCMF56) देवघर	कृषि	अजय बराज योजना	35184.5196	37/06-07 प्र० स्वी० रिक्त-22.03.07	0.00	4.96	4.96	97740	अजय बराज योजना बागडहरी शाखा के चेन 666.00 के H/R & C/R गेट का पुनर्स्थापन कार्य
						0.00	10.96	10.96		अजय बराज योजना के अम्बा शाखा नहर के चेन 3171.50 बागडहरी शाखा नहर के चेन 2611.50 रायपुर वितरणी नहर के 3634.50 बरमसिया वितरणी नहर के 3634.50 चेन की H/R & C/R गेटों का पुनर्स्थापन
						0.00	18.10	18.10		Renovation work of HR gates at Ch.1930 Saluka disty, 2066.5 Dewalkund disty, 2178.50 Sagoria disty, 2345 Pathargatta disty, 2399 Kumbhed disty, 2590.70 Kalipathar disty, 2896 Nawadha disty, 3144.50 Hathipathar disty and Fabrication & erection of HR gates at Ch. 1754 Jamdehi disty, 2172 Suryapani disty, 3275 Gundaldih disty of Ajay Main Canal
					उप योग	0.00	34.02	34.02		
1	सिंचाई, यांत्रिक प्रमंडल, (DGRCMF56) देवघर	यांत्रिक	गुमानी बराज योजना	16258.67	36 / 22.03.2007	0.00	25.75	25.75		गुमानी जलाशय योजना के बडहरवा शाखा के चेन 257 गुमानी मुख्य नहर के चेन 361 और 33 दरियापुर वितरणी के चेन 176 की H/R, C/R/ & E/R गेटों का जीर्णोद्धार
						0.00	14.10	14.10		Renovation / RM work of CR & HR gates at Ch. 220 Chutia disty,, 470 Pathna disty, 341 Bishunpur Disty of Barharwa branch canal of Gumani Main Canal.
					उप योग	0.00	39.85	39.85		
					योग	0.00	73.87	73.87		

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

2	सिंचाई प्र०-2, सिकटिया (DGRMMF72)	देवघर	अन्य बराल योजना	35184.5196	37/06-07 प्र०स्थी दिनांक-22.03.07	37168.36	301.75	55.00	356.75	97743	
3	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया (DGRCRAG03)						15.00	80.00	95.00	97746	
4	लघु वितरणी प्र०, कुलडंगाल (JMTMIR005)						265.58	55.00	320.58	97747	
5	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRIRR001)	देवघर	गुमाना बराल योजना	16258.67	36 / 22.03.2007	16269.67	10.02	150.00	160.02	97754	
6	सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा (RJMIRR001)						72.04	100.00	172.04	97756	
7	जलपथ प्रमंडल, सं०-1, सिमडेगा (SDGIRR001)	राँची	रामरेखा जलाशय योजना	5386.87	51/प्र०स्थी दिनांक-12.03.2003	5007.77	514.00	-464.00	50.00	6895	
8	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMID043)	राँची	सुकरी जलाशय योजना	935.00	32/07-08 प्र०स्थी दिनांक-11.09.2007	831.49	181.39	-50.00	131.39	6894	
9	जलाथ प्रमंडल, सं०-2, चैनपुर, गुमला (GMLIRR008)		अपरदेख जलाशय योजना	14119.00	46/06-07 प्र०स्थी दिनांक-03.03.2007	14609.64	93.00	1.80	94.80	97758	अतिरिक्त आवंटित राशि विवाचन अपील संख्या-12/2011 विजेता प्रोजेक्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर राँची बनाम झारखण्ड सरकार के विवाचन शुल्क भुगतान हेतु।
कुल योग							1452.78	1.67	1454.45		
आवंटित राशि - ₹ एक लाख सड़सठ हजार मात्र।											

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव